<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>

<u>पर्यटन अनुभाग</u>

<u>संख्या-198/2020/2370/41-2020-55(बजट)/2018</u>

लखनऊ दिनांक 09 सितम्बर, 2020

<u>संख्या-160/2020/1797/41-2020-55(बजट)/2018 दिनांक 04 अगस्त</u>, <u>2020</u>

<u>का शुद्धि पत्र</u>

जनपद मथुरा के अन्तर्गत् गोवर्धन में बस स्टैण्ड के सामने पी0डब्लू0 डी0 निरीक्षण भवन की भूमि पर कंट्रोल रूम ,मीटिंग हॉल तथा वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस के निर्माण कार्यों हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत **शासनादेश संख्या-160/2020/1797/41-2020-55(बजट)/2018 दिनांक 04 अगस्त, 2020** के संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक- 2033/6-1-1/ ब्र0ती0वि0प0 /(04)/2019 दिनांक 26-8-2020 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उक्त शासनादेश में पृष्ठांकन के क्रम सं0-6 में त्रुटिवश मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ अंकित किया गया है, जबकि इसके स्थान पर वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा अंकित होना चाहिए था।

2. अत: **शासनादेश संख्या-160/2020/1797/41-2020-55(बजट)/2018 दिनांक 04 अगस्त, 2020** के पृष्ठांकन के **क्रम सं0-6 पर अंकित मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर एतद्द्वारा वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा अंकित किया जाता है।** तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 04 अगस्त, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 198/2020/2370/41-2020-55(बजट)/2019</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव,पर्यटन विभाग,उ0प्र0शासन।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी , उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा ।
7- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता ,मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण,मथुरा।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12- उप निदेशक,आगरा।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in